राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची – 834001

पत्रांकः–03 नि0न0–131/2022 रा0नि0आ0 2563 राँची, दिनांक 17/11/22

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या–2452 दिनांक–10.11.2022 द्वारा खूँटी जिलान्तर्गत नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2022–23 के निमित्त निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह– उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक 52/न0प0 दिनांक 16.11.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में खूँटी नगर पंचायत के वार्ड सदस्य पद (वार्ड सं0–1 से 5) के निर्वाची पदाधिकारी के पदनाम को संशोधित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची द्वारा पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पूर्व में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारी का नाम एवं संशोधित पदनाम
1	2	3	4	5
1	खूँटी नगर पंचायत	वार्ड पार्षद पद (वार्ड संख्या–1 से 5)	श्री जितेन्द्र मुण्डा, अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी।	श्री जितेन्द्र मुण्डा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।

2. अधिसूचना संख्या–2452 दिनांक–10.11.2022 को एतद् द्वारा इस हद तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 03नि0/न0–131/2022 रा0नि0आ0 2563 राँची, दिनांक 17/11/22

प्रतिलिपिः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त, खूँटी को पत्रांक 52/न0प0 दिनांक 16.11.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांकः 03नि0/न0–131/2022 रा0नि0आ0 2563 राँची, दिनांक 17/11/22

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी ई0 गजट, राज्य निर्वाचन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि झारखण्ड के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए गजट की 20 प्रतियाँ राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

16/11/22

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।